भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2587
दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सरकारी अस्पतालों तथा जन औषधि केंद्रों में आवश्यक दवाओं की कमी

2587 श्री जोस के. मणिः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा जन औषधि केंद्रों में आवश्यक दवाओं की कमी का कोई आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कुछ आवश्यक दवाओं की बार-बार होने वाली कमी के कारणों की पहचान की है; और
(घ) यदि हां, तो किफायती दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार,आवश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसके अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र संसाधन बजट के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों पर सुविधावार आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है:

i. उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) - 113
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी-एएएम) -179
iii. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) - 301
iv. उप-जिला अस्पताल - 318
v. जिला अस्पताल (डीएचएस) - 381

इस योजना के अंतर्गत औषधियों की खरीद करने और खरीद प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन

डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यकलापों की निगरानी को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत, एफडीएसआई सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

एफडीएसआई के तहत खरीदी गई औषधियों की गुणवत्ता को इस पहल के परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

i. सभी औषधियों को सुदृढ़ खरीद तंत्र के माध्यम से उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुरूप विनिर्माताओं से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वितरण से पहले प्रत्येक बैच की आपूर्ति पश्चात् जांच किया जाना।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), केरल में संचालित जन औषधि केंद्रों (जेएके) सहित अन्य जन औषधि केंद्रों में आवश्यक औषधियों सहित औषधियों की उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

पीएमबीजेपी के अन्तर्गत उत्पाद बास्केट में 2,110 दवाइयाँ और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपभोज्य वस्तुएँ और उपकरण शामिल हैं, जिनमें हृदयवाहिका रोग, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल दवाएँ और न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मकों और टीकों को छोड़कर, राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएँ इस उत्पाद बास्केट का हिस्सा हैं। स्टॉक की कमी को दूर करने और पूरे देश में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

आपूर्ति में किसी भी कमी को दूर करने और जेएके में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली दवाओं और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 दवाओं सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन दवाओं के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।
